न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

न्याय आपके द्वार राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट फागी

शिविर प्रभारी अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.
वाद संख्याः 285/2005
दर्ज दिनांकः 07/10/2005
निर्णय दिनांक : 14/07/2017

संशोधित शीर्षक

1. सुखदेव पुत्र रामनाथ (फौत)
   1/1 गुलाब बेवा सुखदेव (फौत)
   1/2 गंगालाल पुत्र सुखदेव
   1/3 महराम पुत्र सुखदेव
   1/4 ओमप्रकाश पुत्र सुखदेव
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र रामनाथ (फौत)
   2/1 जमना बेवा लक्ष्मीनारायण (नाम हजफ किया गया)
   2/2 प्रहलाद पुत्र लक्ष्मीनारायण
   2/3 बद्री पुत्र लक्ष्मीनारायण
   2/4 रामदयाल पुत्र लक्ष्मीनारायण
   2/5 मदन पुत्र लक्ष्मीनारायण
   2/6 रामेश्वर पुत्र लक्ष्मीनारायण
3. गेंदीलाल पुत्र रामनाथ (फौत)
   3/1 ओमप्रकाश पुत्र गेंदीलाल
   3/2 रामस्वरूप पुत्र गेंदीलाल
   3/3 जमना बेवा गेंदीलाल
   3/4 बदाम पुत्र गेंदीलाल
   3/5 केसर पुत्र गेंदीलाल
   3/6 गीता पुत्री गेंदीलाल
   3/7 मनफूल पुत्री गेंदीलाल
4. भंवरलाल पुत्र रामनाथ

समस्त जातियान जाट निवासीयानः माधोराजपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर।

—— वादीगण

उपखण्ड अधिकारी, फागी, जिला-जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

बनाम

1. सत्यनारायण पुत्र भैरू बालिग जाति ब्राहम्ण निवासीः माधोराजपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर।
2. कैलाशचन्द
3. शंकरलाल पुत्रान बृजमोहन
   जाति ब्राहम्ण निवासीः माधोराजपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर।
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील फागी, जिला जयपुर।

——प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः

श्री विनोद कुमार जैन एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता वादीगण
श्री विनय जैन एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 ल. 3

उपखण्ड अधिकारी फागी जिला–जयपुर

निर्णय दिनांकः 14/07/2017

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद बाबत घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि वादीगण के कब्जे काश्त की आराजीयात खसरा नंबर 2158 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा, 2159 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा वाके ग्राम माधोराजपुरा, तहसील फागी में स्थित है। आराजीयात पर कब्जा वादीगण का काश्तकारी अधिनियम आने के पूर्व से ही चला आ रहा है। विवादित आराजीयात में वादीगण प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्सा है तथा इसी अनुसार मौके पर काबिज है एवं लगान सरकारी अदा करते आ रहे है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आने के पूर्व से ही माधोराजपुरा खालसा था वादीगण के पूर्वज उपरोक्त वर्णित विवादित आराजीयात पर शांतिपूर्वक काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है पूर्वजो के पश्चात वादीगण काश्त कर रहे है इस प्रकार वादीगण का विवादित आराजीयात पर पीढी दर पीढी कब्जा शांतिपूर्वक एवं निविघ्न रूप से चला आ रहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आने से

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

पूर्व से वादीगण के पूर्वज विवादित आराजीयात पर काबिज थे परन्तु सन् 2011 यानि 1955 में जब पर्चा सैटलमेन्ट आया तो प्रतिवादीगण के बुजुर्ग जो कि अत्यधिक चतुर किस्म के व्यक्ति थे, अपना प्रभाव कायम करते हुए विवादित आराजीयात का अंकन अपने नाम से करवा लिया तथा इसकी भनक भी वादीगण को नहीं लगने दी क्योकि कब्जा वादीगण था अतएव वादीगण ने इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर्चा बनाने वाले राजस्व कर्मचारी प्रतिवादीगण के प्रभाव में थे तथा उन्होने उसका पूर्ण उपयोग करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में विवादित भूमि अपने नाम लगवा ली है जबकि वास्तविक रूप से भूमि वादीगण की ही थी तथा वे ही इसके असली मालिक थे। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के पश्चात से ही वादीगण विवादित आराजीयात का लगान अदा कर रहे है तथा लगान की रसीदे वादीगण के पास मौजूद है जिसमे शिकमी काश्कार वादीगण दर्ज है। इसी प्रकार सं. 2012 से लेकर आज तक विवादित आराजीयात की गिरदावरी वादीगण के नाम चली आ रही है जिसका उल्लेख गिरदावरी में है। वादीगण के पिता का नाम रामनाथ तथा उसके पिता का नाम काना था। धापू रामनाथ की पत्नि थी इस प्रकार वादीगण के पूर्वजो के नाम खसरा गिरदावरी में भली भांति अंकन है। खसरा गिरदावरी के अंकन लगान की रसीदो में अंकन व पर्चा सैटलमेन्ट के पूर्व से ही वादीगण का कब्जा होने से वादीगण को धारा 16 व 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के तहत खातेदारी हक हकूक प्राप्त हो चुके है यथापि वादीगण के नाम काफी समय पूर्व से ही राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करके खातेदारी अंकन कर दी जाने चाहिये थी परन्तु वादीगण के अशिक्षित व नासमझी के कारण राजस्व कर्मचारियो ने कभी भी सहयोग नहीं किया इस कारण प्रविष्टि सदा ही प्रतिवादीगण के नाम चली रही। वादीगण का विवादित आराजीयात पर लगातार पीढी दर पीढी कब्जा होने के कारण तथा प्रतिवादीगण का कभी भी कब्जा नहीं होने के कारण प्रतिवादीगण के समस्त हक हकूक धारा 63(1)(4) के तहत समाप्त हो चुके है तथा वादीगण को लगातार निरन्तर निर्बाध रूप से कब्जे के आधार पर खातेदारी हक हकूक प्राप्त हो चुके है जिन्हे घोषणा करवाने का वादी अधिकारी है यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विवादित आराजीयात पर प्रतिवादीगण का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। यद्यपि विवादित आराजीयात प्रतिवादीगण के नाम चली आ रही थी परन्तु प्रतिवादीगण ने कभी भी वादीगण को आज से पूर्व कब्जे काश्त से बेदखल करने की कोशिश नहीं

उपखण्ड अधिकारी, फागी

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

की अपितु वादीगण जब प्रतिवादीगण के पास नाम लगान गये तो प्रतिवादीगण ने वादीगण को आश्वस्त किया कि जमीन पर तुम काबिज हो तथा जब चाही तब जमीन तुम्हारे नाम करवा देगे। वादीगण भोले एवं अशिक्षित है इस कारण प्रतिवादीगण के विश्वास में आकर उनकी बात में विश्वास कर लिया। प्रतिवादीगण जब दीगर व्यक्तियो के बहकावे में लग गये है एवं जमीनो के भाव भी बढ गये है इसी कारण अब प्रतिवादीगण की नियत में खोट उत्पन्न हो गया है प्रतिवादीगण जो हमेशा वादीगण के नाम जमीन लगाने को तत्पर रहते थे अब आनाकानी करने लग गये है। प्रतिवादीगण की आनाकानी की बाते सुनकर वादीगण दिनांक 1/10/05 को प्रतिवादीगण के पास गये तथा विवादित आराजीयात को नाम लगाने हेतु निवेदन किया उस समय प्रतिवादीगण स्पष्ट इंकार हो गये तथा कहने लगे कि हम किसी प्रभावशाली व्यक्ति को जमीन बेचकर तुम्हे बेदखल करवायेगे, पहले तो वादीगण को प्रतिवादीगण की बात पर विश्वास ही नहीं हुआ परन्तु जब प्रतिवादीगण वावदीगण को बार बार धमकी देने लगे तो वादीगण को अपने हितो की रक्षार्थ माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वादीगण का खसरा गिरदावरी व लगान की रसीदो में शिकमी काश्तकार के रूप में नाम दर्ज है तथा पीढी दर पीढी शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है इस कारण वादीगण धारा 63(1)(4) के प्रावधानो के तहत् विवादित आराजीयात की घोषणा करवाने का अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी, फागी जिला-जयपुर

वादीगण ने दावा के अन्य बिन्दुओ के साथ वाद कारण अंकित कर अनुतोष चाहा है कि वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर घोषणा इस आशय की फरमाई जावे कि विवादित आराजीयात के एकमात्र खातेदार काश्तकार वादीगण ही है तथा प्रत्येक वादीगण का 1/4–1/4 हिस्सा है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के नाम जो सहवन से राजस्व रिकॉर्ड में नाम अंकन है उसे विलोपित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वादीगण के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करे न अन्य से करावे। खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। वकील प्रतिवादी ने जवाबदावा प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादी ने जवाबुलजवाब प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया

गया। वकील वादीगण ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सी.पी.सी प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थना पत्र पर वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। बाद बहस मनन प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सी.पी.सी स्वीकार किया जाकर, वकील वादी को संशोधित शीर्षक प्रस्तुत करने हेतु आदेश दिये गये। वकील वादी ने संशोधित शीर्षक प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। पक्षकारान ने राजीनामा प्रस्तुत किया। राजीनामा बाद जांच तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

.पत्रावली कैम्प कोर्ट में प्रस्तुत हुई। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन किया गया। राजीनामा में पक्षकारान के मुख्यतः कथन यह है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 2158 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा, 2159 रकबा 2–08 बीघा कुल किता 02 रकबा 6 बीघा 01 बिस्वा वाके ग्राम माधोराजपुरा तहसील फागी में स्थित है जिसके वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी हम प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। उपरोक्त भूमि के बाबत हम पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है। राजीनामा अनुसार हम प्रतिवादीगण के नाम जो उपरोक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है उसमें वादी संख्या 1 के नाम 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 2/2 से 2/6 के नाम 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 3 के 1/4 हिस्सा व वादी संख्या 4 के 1/4 हिस्से की खातेदारी दर्ज कर दी जावे जिसमे हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है, उपरोक्त भूमि पर पूर्व में वादीगण के पूर्वज काबिज काश्त थे व उसके पश्चात वादीगण व उनके वारिसान काबिज काश्त है और वर्तमान में उपरोक्त भूमि का कब्जा काश्त वादीगण का है और वादीगण का ही रहेगा, हमारे नाम खातेदारी दर्ज थी जिसके बाबत हम प्रतिवादीगण ने राजीनामा कर लिया है। अब उपरोक्त भूमि से हम प्रतिवादीगण व हमारे उत्तराधिकारियो का कोई लेना देना नहीं है है उपरोक्त भूमि की खातेदारी उपरोक्तानुसार वादीगण के नाम कर दी जावे उससे हम प्रतिवादीगण पूर्ण रूप से सहमत है। विवादग्रस्त भूमि के बाबत अब हमारे प्रतिवादीगण के कोई अधिकार नहीं है और न भविष्य में रहेगे। इस बाबत भविष्य में हम प्रतिवादीगण के उत्तराधिकारी/प्रतिनिधि/सदस्य/सदस्या कोई उज्र या ऐतराज नहीं करेगे। राजीनामा अनुसार वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी, फागी, जिला-जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात नकल जमाबंदी, जवाबदावा, जवाबुलजवाब, राजीनामा इत्यादि का ध्यानपूर्वक

अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खसरा नंबर 2158 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा, 2159 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा ग्राम माधोराजपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर की आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।

चूंकि पक्षकारान में आपसी सहमति से राजीनामा हो चुका है। राजीनामा अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 वादग्रस्त आराजीयात जो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है, का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित करने हेतु सहमत है, न्यायहित में वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद राजीनामानुसार स्वीकार कर डिक्री किया जाकर खसरा नंबर 2158 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 2159 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा ग्राम माधोराजपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर की आराजीयात में वादी संख्या 1/2 लगायत 1/4 को 1/4 हिस्से का, वादी संख्या 2/2 लगायत 2/6 को 1/4 हिस्से का, वादी संख्या 3/1 लगायत 3/7 को 1/4 हिस्से का एवं वादी संख्या 4 को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्कार घोषित किया जाता है। तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व चाहा गया स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना स्वयं वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 14/07/2017 को लोक अदालत कैम्प कोर्ट फागी में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, फागी जिला-जयपुर

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)
फागी

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत–उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

बइजलास–सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)

उनवान

सुखदेव व अन्य

बनाम

सत्यनारायण व अन्य

::– वाद घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा ::–

मुकदमा नं0 – 285/2005

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी हाजिरी रूबरू प्रतिवादी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद राजीनामानुसार स्वीकार कर डिक्री किया जाकर खसरा नंबर 2158 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 2159 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा ग्राम माधोराजपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर की आराजीयात में वादी संख्या 1/2 लगायत 1/4 को 1/4 हिस्से का, वादी संख्या 2/2 लगायत 2/6 को 1/4 हिस्से का, वादी संख्या 3/1 लगायत 3/7 को 1/4 हिस्से का एवं वादी संख्या 4 को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्कार घोषित किया जाता है। तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व चाहा गया स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना स्वयं वहन करे।

निज..................मुबलिग..बाबत..
खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह..फीसदी............सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक..................का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14/07/2017 को जारी की गई।

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी

ओहदा........ फागी (जयपुर)

मुहर

अधिकारी, फागी जिला जयपुर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)